



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264896
CG-DL-E-22072025-264896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3290]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947

No. 3290]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

का.आ. 3363(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा “आंध्र प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” (PAN: AAALT1405A), आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) प्राप्त उपकर,

(ख) भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों से प्राप्त/संग्रहित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क; और

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि “आंध्र प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्षों 2019-2020 से 2023-2024 से संगत वित्तीय वर्षों 2018-2019 से 2022-2023 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 122/2025/फा. सं. 300196/18/2019-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व व्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2025

S.O. 3363(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board” (PAN: AAALT1405A), a Board constituted by Government of Andhra Pradesh, in respect of the following specified income arising to the said Board, as follows:

- (a) Cess received;
- (b) Registration & Renewal fee received/collected from the building and other Construction Workers; and
- (c) Interest received on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020, to 2023-2024 relevant for the financial years 2018-2019 to 2022-2023.

[Notification No. 122/2025/F. No. 300196/18/2019-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264891
CG-DL-E-22072025-264891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3291]
No. 3291]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025
(आयकर)

का.आ. 3364(अ).— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “पुडुचेरी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” (पैन: AABAP7098M), संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सरकार द्वारा गठित बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) प्राप्त उपकर,
- (ख) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों से प्राप्त/एकत्रित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क; और
- (ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि ‘पुडुचेरी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-2025, 2025-2026 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-2024, 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी तथा निर्धारण वर्ष 2026-2027 2027-2028 और 2028-2029 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-2026, 2027-2028 और 2027-2028 के संबंध में भी लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 123 /2025 /फा.सं.300196/14/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2025

(Income-Tax)

S.O. 3364(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Puducherry Building and Other Construction Workers Welfare Board’ (PAN: AABAP7098M), a Board constituted by Government of Union Territory of Puducherry, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Cess received,
- (b) Registration & Renewal fee received/collected from the Building and other Construction Workers
- (c) Interest received on bank deposits

2. This notification shall be effective subject to the conditions that “Puducherry Building and Other Construction Workers Welfare Board” -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the proviso of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for financial years 2023-2024, 2024-2025 relevant to assessment year 2024-25, 2025-26 and shall also apply with respect to financial year 2025-2026, 2026-2027 and 2027-2028 relevant to assessment year 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029.

[Notification No. 123/2025/F. No. 300196/14/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.